न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री जगदीश चन्द्र बिश्नोई

प्रकरण संख्या – 60/17

अनवान – बलविन्द्र सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जट्टसिख निवासी 3 ओ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर बनाम हरखासआम।

किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्त्ता का नाम – तीर्थ सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जट्टसिख निवासी 3 ओ, तहसील श्री करणपुर

–: निर्णय :–

दिनांक –26-8-20

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थी बलविन्द्र सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जट्टसिख निवासी 3 ओ, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता तीर्थ सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जट्टसिख निवासी 3 ओ, तहसील श्री करणपुर ने चक 3 ओ के मु. नं. 33/3.162 हैक्ट. भूमि में से 0.790 हैक्ट. नहरी भूमि की वसीयत दिनांक 11.06.1991 को अपने पोते हरसिमरन सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट्टसिख के पक्ष में की है, जिसका उसके पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा उपपंजीयक, श्री करणपुर से पंजीकृत वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता ने चक 3 ओ के मु.नं. 33/3.162 हैक्ट. भूमि में से 0.790 हैक्ट. नहरी भूमि हरसिमरन सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट्टसिख निवासी 3 ओ जाति जट्टसिख के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत उपपंजीयक, श्री करणपुर से दिनांक 11.06.1991 को पंजीकृत है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु दिनांक 01.11.2010 को हुई है, पेश किया गया है।

पटवारी हल्का लखियां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 3 ओ के मु.नं. 33/3.162 हैक्ट. भूमि में से 0.790 हैक्ट. नहरी भूमि तीर्थ सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जट्टसिख निवासी 3 ओ के नाम दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, स्वःअर्जित है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, रकबा रहन, बैय नहीं है।

इस न्यायालय के पत्रांक व.प्र./भूअ/2017/3236–37 दिनांक 27.11.2017 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश के दिनांक 02.12.2017 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाहान मोहन सिंह पुत्र चरण सिंह जाति जट्टसिख निवासी 5 ओ, तहसील श्री करणपुर ने दिनांक 17.03.2020 को उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्त्ता तीर्थ सिंह पुत्र हरी सिंह द्वारा उसके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न कागजात, पटवारी हल्का रिपोर्ट, वसीयत के गवाहान के बयान एवं सीमा सन्देश में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा आदि का विवाद नहीं हो तो प्रार्थी के मूल दस्तावेज का मिलान करते हुवे वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार (भू-अ.),
श्री करनपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू-अ) श्रीकरनपुर

क्रमांक/भू-अ/2020/10365 दिनांक 4-9-20

हल्का पटवारी लखियाँ को भेजकर लेख है कि वसीयत आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करे

तहसीलदार (भू अ.)
श्रीकरणपुर

Scanned with OKEN Scanner